प्रेस नोट 09/11/2020

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 शातिर गौ–तस्कर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 09.11.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर देईया माता मंदिर के पास से, मु0अ0सं0 403/20 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों रियाजुल पुत्र नूर मोहम्मद (गैंग लीडर व अश्वनी सिंह पुत्र रविप्रताप सिंह निवासीगण सोनिसा थाना रानीपुर मऊ (गैंग लीडर) को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना रानीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 06.10.2019 को उपरोक्त अभियुक्तों के कब्जे से एक वाहन (यूपी 50 टी 0440) में लदे 01 राशि गाय व 03 राशि बछड़े बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 190/19 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्तों द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एवं बुनियादी लाभ के लिये अवैध तरीके से धन प्राप्त करने हेतु गौ–तस्करी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 688/20 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 09.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा श्रीराम चौहान, अजीत चौहान निवासीगण शेखवाड़ा व इसरार, मो0 आजाद निवासीगण सैयदवाड़ा थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सुरेन्द्र, अनिल कुमार निवासीगण रैकवारेडीह, हरिश्चंद, चन्द्रमणि निवासीगण सुअरबोझ थाना सरायलखंसी, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सदानंद चौहान निवासी जमुनीपुर थाना दोहरीघाट, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राजू कुमार निवासी खैरा नासिर, विवक मल्ल निवासी औलियापुर, परशुराम निवासी लठिया थाना मधुबन मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 09.11.2020 को यातायात माह नवम्बर –2020 मे यातायात प्रभारी संतोष यादव ,हमराह एचसीपी रमेश कुमार, हे0का0 सुनील सिंह, हे0का0 रमेश चन्द्र शुल्का, का0 प्रवीण कुमार गुप्ता, का0 अरविन्द कुमार सिंह, होम गार्ड रामजीत, होम गार्ड राजेश यादव, हो0गा0 विनोद कुमार, पी0आर0डी0 अरविन्द कुमार, पी0आर0डी0 वेद प्रकाश, के साथ बाल निकेतन, फातिमा मोड़, भीटी चौक, मतलूपुरा, सलहाबाद मोड़, शीतला माता मंदिर पर कुल 80 ट्रैक्टर टालियो पर निशुल्क रिफलेक्टर लगया गया तथा वाहन चालको को यातायात नियमो के बारे मे जानकारी दी गयी तत्पश्चात यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन वाहन चालक/स्वामी का सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना, रजिस्ट्रेशन, डी0एल0, इंशोरेन्स, फिटनेश विना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत नम्बर प्लेट मे कुल 170 वाहनो का चालान किया गया तथा 02 वाहन को पेपर न होने की वजह से सीज किया गया। जिसमे विना हेलमेट के 80, सीट बेल्ट–22, गलत नम्बर प्लेट पर 10, बिना डी0एल0 35, मोबाईल फोन –11 तथा ध्वनि प्रदूषण मे –12 चालान की कार्यवाही की गयी ।